3365(A)
7/5/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक– 7/5/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी पथ के शहीद भगत सिंह चौक (जीरोमाईल) से एच०एच०–57 फ्लाई ओवर तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2015–16 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–702(अनु0) दिनांक 15.02.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा तथा विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी पथ के शहीद भगत सिंह चौक (जीरोमाईल) से एच०एच०–57 फ्लाई ओवर तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2015–16
2.2	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹959.80 लाख। विभागीयय पत्रांक–6992(एस0) दिनांक–29.07.2015
2.3	एकरारनामा संख्या	:	24 of CMBD 2015-16
2.4	एकरारनामा की राशि	:	₹7,96,98,046.00
2.5	संवेदक का नाम	:	Alectra Construction Ltd., Samastipur
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	:	09.12.2015
2.7	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	:	08.12.2016
2.8	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	:	31.03.2018
2.9	माँग की गई समयवृद्धि की तिथि	:	31.03.2018

3. **समयवृद्धि का कारणः–**

(i) **बालू की अनुपलब्धता के कारण विलंब (National Green Tribunal)** :– मुख्य सचिव, बिहार सरकार के पत्रांक–404 दिनांक–09.02.2016 द्वारा आदेश दिया गया कि माननीय National Green Tribunal, Eastern Zone Bench के आदेश के अनुपालन में लघु खनीज बालू के खनन प्रेषण एवं परिवहन से संबंधित तमाम गतिविधि को पर्यावरण स्वीकृति हासिल होने तक तत्कालिक प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। उक्त आदेश के कारण तीन माह तक बालू की अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रभावित रहा।

संवेदक द्वारा इस मद में 89 दिनों का अवधि विस्तार हेतु अनुरोध किया गया है, जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

7-5-19 7/L

(ii) **बिटुमिन (CRMB-55) की अनुपलब्धता के कारण विलंब** :– संवेदक द्वारा दिनांक–04.10.2016 तथा दिनांक–23.11.2016 को कार्यपालक अभियंता को सूचित किया गया कि CRMB Bitumen की HPCL Depot में उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण BC का कार्य प्रभावित हो रहा है। कार्यपालक अभियंता द्वारा इस संबंध में निदेश (क्रय एवं परिवहन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को पत्रांक–2533(अनु0), दिनांक–07.12.2016 द्वारा CRMB Bitumen की HCPL Depot में अनुपलब्धता के बारे में सूचित किया गया। तत्पश्चात् संवेदक द्वारा बिटुमिन के उपलब्धता के बाद कार्य प्रारंभ किया गया।

संवेदक द्वारा इस मद में 124 दिनों का अवधि विस्तार हेतु अनुरोध किया गया है, जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

(iii) **वन भूमि के अपयोजन एवं अतिक्रमण के कारण विलंब** :–

(क) संवेदक द्वारा उनके पत्र दिनांक–20.07.2016 द्वारा सूचित किया गया की वृक्षों के पातन नहीं होने के कारण कार्य वाधित हो रहा है। विषयांकित पथ, रक्षित वन क्षेत्र के रूप में घोषित रहने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वन भूमि के अपयोजन हेतु वन विभाग से कार्य करने अनुमति की आवश्यकता थी। कार्यपालक अभियंता, द्वारा इस संबंध में अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षण (कैम्प), सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), पटना, बिहार से पत्राचार किया गया। अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार, पथ अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा भी उनके पत्रांक–1745, दिनांक–06.12.2016 द्वारा वन विभाग को वन भूमि के अपयोजन की स्वीकृति हेतु शीर्ष प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा भी उनके पत्रांक–7020/गो०, दिनांक–16.12.2016 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

(ख) संवेदक द्वारा कार्य के दौरान प्रमंडलीय कार्यालय को सूचित किया गया कि पथ के कई पथांशों में अतिक्रमण है, यथा जीरो माईल, सुलभ शौचालय के कारण पथ की चौड़ीकरण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रहा है। कार्यपालक अभियंता द्वारा सचिव, इनर्जी इन्टरनेशनल, पटना के पत्रांक–2606 अनु0, दिनांक–16.12.2016 द्वारा अतिक्रमण हटाने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा भी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को पत्रांक–7019/गो० दिनांक–16.12.2016 द्वारा अतिक्रमित स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु आदेश दिया गया था।

उपरोक्त के आलोक में संवेदक द्वारा 388 दिनों की अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा 264 दिनों की अनुशंसा की गई है।

(iv) **पंचायत चुनाव के कारण विलंब** :– संवेदक द्वारा सूचित किया गया है, कि पंचायत चुनाव 2016 के कारण सामग्रियों की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न हुआ। इस मद में संवेदक द्वारा 41 दिनों की अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा 23 दिनों की अनुशंसा की गई है।

अतः उपरोक्त वर्णित कारणों के आलोक में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा कुल 500 दिनों अर्थात् दिनांक–31.03.2018 तक अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसाः–

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक–31.03.2018 तक समयवृद्धि इस शर्त्त के साथ स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :–

5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–702(अनु0) दिनांक 15.02.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी पथ के शहीद भगत सिंह चौक (जीरोमाईल) से एच०एच०–57 फ्लाई ओवर तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2015–16 (एकरारनामा संख्या–24 of CMBD 2015-16) हेतु दिनांक 31.03.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

07/05/19 (रामावतार साह) मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	7/5/19 (लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त सह–विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	7.5.19 (रत्नेश कुमार) संयुक्त सचिव –सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	7.5.19 (अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध (स०वृ०)–04–52/2019 3563(E) पटना, दिनांक 7/5/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अचंल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7/5/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।